



आस्ट्रेलिया में प्रवेश

मैं एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी हूँ

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले सभी आगंतुकों को 14 दिनों के लिए अपने प्रवेश के नगर में निर्दिष्ट सुविधाओं (उदाहरण के लिए, होटल) में अनिवार्य रूप से एकांतवास करना होगा।

यदि आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, स्थायी निवासी, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी के सगे परिजन या सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले/वाली न्यू ज़ीलैंड के/की नागरिक हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते/सकती हैं। यदि आप एक सगे परिजन हैं जिसके पास अस्थायी वीज़ा है, तो आपको हमें अपने संबंध का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते हैं, और असाधारण परिस्थितियों में एक वैध ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के बिना भी उन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा। यदि आपके पास एक वैध पासपोर्ट नहीं है, तो कृपया एयरलाइन कर्मियों को बताएँ कि आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है (भले ही आपके पास दोहरी नागरिकता हो)। आपकी नागरिकता को सत्यापित करने के लिए एयरलाइन ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल [Australian Border Force] से संपर्क करेगी। किसी भी प्रकार की देरी होने की परिस्थिति से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हवाईअड्डे पर जल्दी पहुँचें। आप जिस देश में हैं, वहाँ से प्रस्थान करना उस देश में अधिकारियों के नियमों और निर्णयों के अधीन होगा।

स्थायी निवासी

स्थायी निवासी वह होता है जिसके पास ऑस्ट्रेलिया के लिए एक स्थायी वीज़ा है, जिसमें निवासी वापसी वीज़ा [Resident Return visa] शामिल है। स्थायी निवासियों को भी ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के बाद अपने प्रवेश के नगर में 14 दिनों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं (उदाहरण के लिए, होटल) में अनिवार्य संगरोध [quarantine] करना होगा।

सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले न्यू ज़ीलैंड के नागरिक

न्यू ज़ीलैंड के जो नागरिक सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं [उपवर्ग 444 (subclass 444) वीज़ा धारक या अन्य प्रकार के स्थायी या अनंतिम वीज़ा धारक), वे ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते हैं। आपको अपने साथ निवास का प्रमाण (ड्राइवर्स लाइसेंस या आपके निवास की पुष्टि करने वाले दस्तावेज) रखने होंगे। चेक-इन करते समय इन्हें प्रस्तुत करें। आपको अपने प्रवेश के नगर में 14 दिनों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं (उदाहरण के लिए, होटल) में अनिवार्य संगरोध [quarantine] करना होगा।

महत्वपूर्ण: न्यू ज़ीलैंड के जो नागरिक और स्थायी निवासी ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते हैं, वे केवल न्यू ज़ीलैंड वापिस जाने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया से पारगमन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पारगमन खण्ड देखें।

मैं एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी का सगा परिजन हूँ

आपको सगा परिजन केवल तभी माना जाएगा, यदि आप:

- पति/पत्नी हैं
- डि फैक्टो सहजीवी हैं
- आश्रित अवयस्क हैं
- कानूनी अभिभावक हैं।

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को अपने प्रवेश के नगर में 14 दिनों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं (उदाहरण के लिए, होटल) में अनिवार्य संगरोध [quarantine] करना होगा।

आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले विभाग [Department] को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

अभिभावक

बच्चे के संबंध में अभिभावक वह व्यक्ति होता है जिसपर बच्चे के लंबे समय के कल्याण की जिम्मेदारी होती है और जिसके पास बच्चे के संबंध में, कानूनी या परंपरागत रूप से बच्चे के अभिभावक के रूप में निहित सभी शक्तियाँ, अधिकार और कर्तव्य होते हैं। इनमें निम्नलिखित अपवाद शामिल हैं:

- बच्चे की दिन-प्रतिदिन देखभाल और नियंत्रण का अधिकार; और
- बच्चे की दिन-प्रतिदिन देखभाल और नियंत्रण से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार और दायित्व।

यदि आपके पास वीज़ा नहीं है

आप ऑस्ट्रेलिया में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते/सकती हैं, जब तक आपके पास वीज़ा न हो। वीज़ा के लिए आवेदन करें और साथ में प्रमाण दें (उदाहरण के लिए आपका विवाह प्रमाण-पत्र, आपका जन्म प्रमाण-पत्र या आपके बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र)।

यदि आपके पास एक अस्थायी वीज़ा है (सहजीवी [Partner] और बाल [Child] वीज़ा धारकों के अतिरिक्त)

विभाग [Department] को और अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए पूछताछ फॉर्म का उपयोग करें। आपको साथ में प्रमाण संलग्न करना होगा (उदाहरण के लिए, आपका विवाह प्रमाण-पत्र, अपने डि-फैक्टो संबंध का प्रमाण जैसे साझा धन-प्रबंध या संपत्ति, आपका जन्म प्रमाण-पत्र या आपके बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र)। जब तक हम आपको यात्रा के लिए अनुमति न दें, तब तक यात्रा न करें।

सहजीवी [Partner] (उपवर्ग 100, 309, 801, 820) और बाल [Child] (उपवर्ग 101, 102, 445) वीज़ा धारक ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते हैं। आपको अपवाद के लिए निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

संभावित विवाह [Prospective Marriage] (उपवर्ग 300) वीज़ा धारक इस समय ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते/सकती हैं।

यात्रा अपवाद या और अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

[ऑनलाइन आवेदन करें](#)

जिन यात्रियों के पास ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए अनुकंपा के आधार पर या सशक्त कारण है, वे भी इस फॉर्म का उपयोग करके अपवाद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अन्य सभी यात्री

जिन यात्रियों के पास ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए अनुकंपा के आधार पर या सशक्त कारण है, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल आयुक्त [Australian Border Force Commissioner] से अपवाद प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को अपने प्रवेश के नगर में 14 दिनों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं (उदाहरण के लिए, होटल) में अनिवार्य संगरोध [quarantine] करना होगा।

यात्रा प्रतिबंधों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इनमें कुछ अपवाद हैं। कृपया नियमित रूप से जाँच करें।

आयुक्त [Commissioner] द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अपवाद

ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल (एबीएफ) के आयुक्त [Commissioner of the Australian Border Force (ABF)] वर्तमान में लागू होने वाले यात्रा प्रतिबंधों के संबंध में अतिरिक्त अपवादों के लिए निम्नलिखित लोगों के बारे में विचार कर सकते हैं:

- COVID-19 प्रतिक्रिया में सहायता के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल सरकार [Australian Commonwealth Government] के आमंत्रण पर यात्रा करने वाले या राष्ट्र के हित में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिक
- एयर एंबुलेंस और आपूर्ति वितरण सहित महत्वपूर्ण चिकित्सीय सेवाएँ, जो नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करती हैं
- अपवादस्वरूप में महत्वपूर्ण कुशलता-प्राप्त व्यक्ति (उदाहरण के लिए, चिकित्सा विशेषज्ञ, इंजीनियर, समुद्री पायलट और चालक दल)
- ऑस्ट्रेलिया में मान्यता-प्राप्त और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले राजनयिक व्यक्ति और उनके सगे परिजन
- मानवतावादी और अनुकंपा पर आधारित कारणों के तहत प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार करके दिए गए अपवाद।

ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा आरंभ करने से पहले अपवाद प्राप्त हो जाने चाहिए। आयुक्त [Commissioner] के विवेकानुसार अपवाद के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाने चाहिए:

- **यात्री विवरण:** नाम, जन्मतिथि, वीज़ा का प्रकार और संख्या, पासपोर्ट संख्या, ऑस्ट्रेलिया में निवास का पता, ऑस्ट्रेलिया में टेलीफोन नंबर
- **मामले के बारे में जानकारी:** आयुक्त के विवेकानुसार/अपवाद के लिए इस मामले पर विचार क्यों किया जाना चाहिए
- **समर्थन कथन:** निवेदन के साथ इस बारे में एक कथन और प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए कि आवेदक उपरोक्त सूचीबद्ध आधारों पर अपवाद या आयुक्त के विवेकाधीन निर्णय के लिए किसी आधार को कैसे पूरा करता है।

यह महत्वपूर्ण है कि यात्रा करने से पहले सभी यात्री इस बात का प्रमाण उपलब्ध कराएँ कि वे ऊपर दिए गए अपवादों में से किसी एक अपवाद को कैसे पूरा करते हैं।

अपवाद के लिए आपके निवेदन के कारण के आधार पर प्रमाण उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- पहचान का प्रमाण
- विवाह प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण-पत्र
- मृत्यु प्रमाण-पत्र
- संबंध का प्रमाण (उदाहरण के लिए, साझा किराएदारी समझौता, संयुक्त बैंक खाता आदि)
- वीजा की स्थिति
- डॉक्टर या अस्पताल की ओर से पत्र, जिसमें यह बताया गया हो कि आपके लिए यात्रा करना आवश्यक क्यों है
- कार्य-नियोक्ता की ओर से पत्र, जिसमें यह बताया गया हो कि आपके लिए यात्रा करना आवश्यक क्यों है या कार्य करना अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है
- संबंधित व्यवसाय या कंपनी की ओर से पत्र
- अपने दावे के समर्थन के लिए आपके पास उपलब्ध कोई अन्य प्रमाण।

यात्रा अपवाद के दावे के समर्थन के लिए सभी प्रमाणों का आधिकारिक रूप से अंग्रेज़ी में अनुवाद कराना आवश्यक है।

यात्रा अपवाद या और अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

[ऑनलाइन आवेदन करें](#)

जिन यात्रियों के पास ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए अनुकंपा के आधार पर या सशक्त कारण है, वे भी इस फॉर्म का उपयोग करके अपवाद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मैं वीजा के लिए आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ

आपको इस समय ऑस्ट्रेलियाई वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और यात्रा प्रतिबंधों तथा वीजा प्रसंस्करण के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से यह पृष्ठ देखना चाहिए।

वीजा प्रसंस्करण के लिए व्यवस्थाएँ

विभाग [Department] अपवाद श्रेणियों के तहत आने वाले यात्रियों की तत्काल यात्रा के लिए वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण को प्राथमिकता दे रहा है।

हम आवेदकों को यथासंभव ऑनलाइन रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि कागजी दस्तावेजों के रूप में जमा किए गए आवेदनों की तुलना में ऑनलाइन आवेदनों का प्रसंस्करण शीघ्रता से किया जा सकता है।

यात्रा प्रतिबंधों के लागू होने की अवधि में आप [ऑनलाइन ईटीए](#) के लिए आवेदन नहीं कर सकते/सकती हैं।

सेवाओं में व्यवधान

COVID-19 के परिणामस्वरूप वीज़ा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं और ऐसी अनेक सेवाओं की उपलब्धता कम होती जा रही है, जिनपर हम निर्भर करते हैं।

इनमें विदेशों में स्थित पैनल डॉक्टर (नीचे देखें), अंग्रेज़ी भाषा परीक्षण सुविधाएँ, बायोमेट्रिक संग्रह और कागज़-आधारित आवेदन एकत्र केंद्र शामिल हैं।

जब तक ये सेवाएँ अनुपलब्ध रहेंगी, तब तक कई आवेदक वीज़ा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएँगे। आवेदकों को जाँच पूरी करने और निवेदित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

वीज़ा-संबंधी चिकित्सीय एपॉइंटमेंट

COVID-19 के परिणामस्वरूप वीज़ा-संबंधी चिकित्सीय सेवाओं में उत्पन्न हुए व्यवधानों के बारे में सेवार्थियों को अवगत होना चाहिए।

मेरी स्वास्थ्य घोषणाएँ [My Health Declarations] अस्थायी रूप से निलंबित है। अपने वीज़ा का आवेदन जमा करने के बाद आपके इच्छित वीज़ा के लिए स्वास्थ्य आवश्यकता [Health Requirement] का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण भी शामिल होंगे।

हमारे वीज़ा प्रसंस्करण अधिकारी इन व्यवधानों के बारे में अवगत हैं। हम आपके वीज़ा आवेदन पर विचार करते समय विस्तारित समय-सीमाओं को ध्यान में रखेंगे।

यदि आपके वीज़ा के लिए चिकित्सीय एपॉइंटमेंट का समय बदलकर इसे किसी और समय नियत किया गया है, तो आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आपने अभी तक वीज़ा के लिए आवेदन जमा नहीं किया है या आपसे अभी तक आप्रवास-संबंधी चिकित्सीय जाँच कराने के लिए निवेदन नहीं किया गया है, तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा-संबंधी चिकित्सीय क्लिनिक या विदेश में स्थित किसी पैनल क्लिनिक से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

छात्र वीज़ा

यदि आप विदेश में स्थित हैं और आप एक ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रदाता के साथ ऑनलाइन अध्ययन कर रहे/रही हैं, तो आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा प्रदाता विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन में भर्ती करने के लिए नए नामांकन पुष्टि पत्र (सीओई) [Confirmation of Enrolment (CoE)] निर्गत कर सकते हैं।